# समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 23.03.2015 को आयोजित जिला स्तरीय
पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

| क्र | लिए गए निर्णय का सारांश | सम्बद्ध पदाधिकारी |
|---|---|---|
| 1. | प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा के द्वारा बताया गया कि एम0जे0सी0 के निम्न मामले लंबित है।<br>एम0जे0सी0 भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बहेड़ी से संबंधित है, अंचलाधिकारी, बहेड़ी के स्तर पर की गयी अद्यतन कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त है। शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।<br>एम0जे0सी0 अजय कुमार चौधरी बनाम राज्य का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है, इस मामला में तथ्य विवरणी संशोधन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को पुनः भेजा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।<br>एम0जे0सी0 राम कृष्ण सिन्हा बनाम राज्य, यह मामला जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। इसमें शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करने का निदेश है। इस संबंध में जिला भविष्य निधि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि याचिकाकर्त्ता को भविष्य निधि का भुगतान कर दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया जाय।<br>एम0जे0सी0 फुलिया देवी बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बिरौल से संबंधित है। यह मामला अतिक्रमण हटाये जाने से संबंधित है। इस मामले की तथ्य विवरणी संशोधन हेतु पुनः अंचलाधिकारी, बिरौल को भेजा गया है। शीघ्र प्राप्त कर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु निदेशित किया गया।<br>एम0जे0सी0 चन्द्रभाष चौधरी बनाम राज्य का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से संबंधित है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से प्राप्त नहीं हुआ है।<br>एम0जे0सी0 महादेव झा बनाम राज्य का मामला खान निरीक्षक, दरभंगा से संबंधित है, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि तथ्य विवरणी संशोधन हेतु वापस किया गया है। उन्हें अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।<br>एम0जे0सी0 सत्यनारायण गुप्ता बनाम राज्य का मामला शिक्षक नियोजन से संबंधित है। इसकी तथ्य विवरणी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले द्वारा समर्पित की जानी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को इसमें तत्काल अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।<br>एम0जे0सी0 राम कुमार मुखिया बनाम राज्य से संबंधित मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलीनगर से संबंधित है,जो शिक्षक नियोजन का है, इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को इसमें तत्काल अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।<br>एम0जे0सी0 सुरेश दास बनाम राज्य का मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलीनगर से संबंधित है,जो शिक्षक नियोजन का है, इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को इसमें तत्काल अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।<br>एम0जे0सी0 सरयुग लाल बनाम राज्य, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।<br>एम0जे0सी0 शत्रुघ्न प्रसाद बनाम राज्य, सिविल सर्जन, दरभंगा से संबंधित है। शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।<br>एम0जे0सी0 शांति देवी बनाम राज्य सिविल सर्जन, दरभंगा से संबंधित है। शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।<br>एम0जे0सी0 भगवान मिश्र बनाम राज्य, उप विकास आयुक्त, दरभंगा से संबंधित है। शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।<br>एम0जे0सी0 मो0 नईमुद्दीन बनाम राज्य, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा से संबंधित है। शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।<br>एम0जे0सी0 कान्ति देवी बनाम राज्य संयुक्त कृषि निदेशक, दरभंगा से संबंधित है। शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया। | प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1/अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जाले, बहेड़ी |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | बैठक में वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए सभी कार्यकारी एजेन्सियों को निदेश दिया गया कि वे कार्य में तेजी लाते हुए प्राप्त आवंटित राशि का शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। निर्धारित समय पर विपत्र कोषागार में प्रस्तुत करें। इसी क्रम में कोषागार पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वेतन एवं मानदेय से संबंधित सभी प्रकार की निकासी दिनांक 25.03.2015 तक की जायगी तथा उसके बाद बिहार सरकार के तृतीय अनुपूरक से आच्छादित विपत्र की ही निकासी की जा सकेगी। इसके आलोक में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इसका हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि किसी भी मद में राशि व्ययगत नहीं होने पावे। | सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी |
| 3. | महत्वपूर्ण सी0डब्लू0जे0सी0 में विकास चन्द्र गुड्डू बाबा बनाम राज्य की अगली सुनवाई 13.04.2015 को निर्धारित है। इस मामले में निर्धारित समय सीमा के अन्दर कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।<br>सी0डब्लू0जे0सी0 प्रदीप कुमार मिश्र बनाम राज्य का मामला भूअतिक्रमण से संबंधित है। अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा से संबंधित है। इसमें शीघ्र शपथ पत्र दाखिल करने हेतु निदेशित किया गया।<br>सी0डब्लू0जे0सी0 महादेव पासवान बनाम राज्य का मामला संविदा सहायक के मानदेय भुगतान से संबंधित है। स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा को इस संबंध में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया।<br>सी0डब्लू0जे0सी0 नवीन कुमार सिंह बनाम राज्य का मामला मनरेगा में गड़बड़ी से संबंधित है। उप विकास आयुक्त, दरभंगा को इस संबंध में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया।<br>सी0डब्लू0जे0सी0 सुनिल कुमार बनाम राज्य में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 को इस संबंध में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया।<br>सी0डब्लू0जे0सी0 देवनारायण मिश्र बनाम राज्य का मामला विभागीय कार्रवाई के विरूद्ध है, में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा को इस संबंध में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया।<br>सी0डब्लू0जे0सी0 राम भूषण झा बनाम राज्य का मामला भूमि विवाद से संबंधित है। अंचल अधिकारी, बेनीपुर को इस संबंध में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया।<br>*सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 से संबंधित बहुत सारे मामले हैं, जिनमें समयबद्ध हैं, ऐसे मामले में ससमय निश्चितरूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया।* | प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/स्थापना उप समाहर्त्ता |
| 4 | सम्पत्ति की विवरणी की समीक्षा के कम में स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया अद्यतन 379 कर्मी का सम्पत्ति विवरणी टैग नहीं हो पाया है। जिन कर्मियों का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें विश्वविद्यालय तथा वन प्रमंडल के कर्मी सम्मिलित है। उनके द्वारा बताया गया कि संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को इसकी सूची भेजते हुए उसकी प्रति कोषागार पदाधिकारी को भी दे दी गयी है। स्थापना उप समाहर्त्ता को सभी कर्मियों का सम्पत्ति का ब्यौरा टैग करने का निदेश दिया गया। | स्थापना उप समाहर्त्ता |
| 5. | आर0टी0पी0एस0 में 152 मामले अनिष्पादित बताया गया। इनमें 23,000 रूपये दण्ड अधिरोपित किये गये हैं। दोषी कर्मियों को चिन्हित कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पत्र देने हेतु निदेशित किया गया। बाहर के मामले में विभाग से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।<br>आर0टी0पी0एस0 में छापामारी संबंधी प्रतिवेदन बहादुरपुर, बहेड़ी, हायाघाट, हनुमाननगर, अलीनगर, बेनीपुर, घनश्यामपुर, किरतपुर, बिरौल प्रखंड का अप्राप्त है। उसी प्रकार जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। | स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा एवं संबंधित पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| | सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि पेंशन भुगतान हेतु राशि प्राप्त हो गया है, जिसे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सभी प्रखंडों को भेजा जा रहा है। अगले एक सप्ताह के अन्दर एक या दो तिथि निर्धारित कर इसका वितरण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। | सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी |
| 7. | धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पैक्सों द्वारा कुल 15691 एम0टी0 धान की अधिप्राप्ति की गयी है, जिसके विरूद्ध अभी तक मात्र 13 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ है।<br>जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों के माध्यम से 12038 एम0टी0 तथा सीधे किसानों से 984 एम0टी0 धान की अधिप्राप्ति की गयी है। भुगतान में तेजी लाने का निदेश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को दिया गया।<br>समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि मनौरा तरवारा को व्यापार मंडल, बिरौल से टैग कर दिया गया है। जहां गोदाम की खोज की जा रही है।<br>अग्रिम सी0एम0आर0 की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक कुल 8500 एम0टी0 धान का एस0आई0ओ0 मिलों को उपलब्ध कराये जा चुके है। परन्तु मिलो द्वारा मात्र 54 लॉट अग्रिम सी0एम0आर0 उपलब्ध कराया गया है, जो काफी कम है। इसे प्रति सप्ताह 100 लॉट तक पहुँचाने का निदेश दिया गया। इसमें तेजी लाने का निदेश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को दिया गया।<br>जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि 31.03.15 तक धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि जहां छिटपुट होगा, वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी तथा जहां ज्यादा होगा वहां के प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायगा। | अपर समाहर्त्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी |
| 8. | पेंशन वितरण योजना की समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि लगभग 70 प्रतिशत पेंशन का वितरण अभी तक हो चुका है। जिन मदों में राशि की आवश्यकता है, उसका डिमांड बनाकर विभाग को भेजा जा चुका है। उन्हें वितरण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। | सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा |
| 9. | विद्युत विभाग की कार्यों की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि गत माह में 5.39 करोड़ राजस्व की वसूली हुई है। 14 प्राथमिकी दर्ज की गयी है, कोई भी ट्रान्सफॉर्मर नहीं जला है। 3.6 किलोमीटर में तार बदलने का काम किया गया है, 4.9 किलोमीटर में तार को उंचा करने का काम किया गया है, 341 विद्युत सम्बंधन विच्छेद किया गया है तथा 4 ट्रान्सफॉर्मर में अर्थिंग का कार्य किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि छापामारी एवं विद्युत सम्बन्धन विच्छेद कार्य में तेजी लावें। दर्ज प्राथमिकी की संख्या बहुत कम है, इसे बढ़ावें तथा आने वाले गृष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक तैयारी अभी से कर लें।<br>कार्यपालक अभियंता, परियोजना द्वारा बताया गया कि गत माह में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना अन्तर्गत बेला विद्युत उपकेन्द्र में पावर ट्रान्सफॉर्मर लगाया गया है तथा दोनार विद्युत उपकेन्द्र में ब्रेकर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 22 किलोमीटर में केबलिंग का कार्य किया गया है एवं 163 ट्रान्सफॉर्मर में से 42 ट्रान्सफॉर्मर लगाये जा चुके है। वर्तमान में ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह कार्य बन्द है। परन्तु शीघ्र ही ट्रान्सफॉर्मर प्राप्त होने वाला है।<br>राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 669 गाँवों का सर्वेक्षण हो चुका है तथा सिंहवाड़ा प्रखंड के 15 गाँव में पोल लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है।<br>विद्युत परियोजनाओं के लिये जमीन के संबंध में उन्होंने बताया कि सिंहवाड़ा में जो जमीन उपलब्ध करायी गयी है, उसके भू-स्वामी द्वारा अनावश्यक शर्तें लगायी जा रही है, जो मानने योग्य नहीं है। यहाँ दूसरी भूमि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। | अपर समाहर्त्ता, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा/परियोजना |
| 10. | जन वितरण दूकानों की नई नियुक्ति के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रोस्टर का क्लियरेन्स के लिए जिला स्थापना को भेजा गया था, जहां से वापस आया है। उन्हें संबंधित संचिका अविलम्ब जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करने के लिए निदेशित किया गया। | जिला आपूर्ति पदाधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का U I N जेनेरेट करने के क्रम में अभीतक 950 आवेदन प्राप्त हुए है, जबकि लगभग 1500 अनुज्ञप्तिधारी इस जिला में है। निदेशित किया गया कि जिस थाना से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनके साथ बैठक कर यह कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय। जितने प्राप्त हो चुके हैं, उनका शत प्रतिशत इन्ट्री करना सुनिश्चित कर लिया जाय। | प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा |
| 12. | प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा को निदेशित किया गया कि जिला के सभी डी०जे० धारको की सूची अविलम्ब प्राप्त कर लिया जाय। उनके द्वारा बताया गया कि बेनीपुर अनुमंडल से प्राप्त हो गया है। सदर एवं बिरौल अनुमंडल से बाकी है। उन्हें निदेशित किया गया कि अविलम्ब प्राप्त कर लिया जाय। | प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा |
| 13. | जिला स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि जिस स्वास्थ्य उप केन्द्र का भवन तैयार है,उसे अगले बुधवार को स्वास्थ्य विभाग को प्रभार सौंपने का कार्य पूर्ण कर लिया जाय, जिसके लिए संबंधित कार्य एजेन्सी को निदेशित किया जाय। संबंधित एजेंसी को इसका अनुपालन ससमय सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।<br>प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता, स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार से प्राप्त अद्यतन निदेश के अनुसार जिलास्तर पर अवस्थित अस्पतालों को अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निरीक्षण करने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के स्तर से पत्र निर्गत किये जा चुके हैं। सभी संबंधित पदाधिकारी को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। | अपर समाहर्त्ता / सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा–1 / सिविल सर्जन, दरभंगा |
| 14. | जिला जन शिकायत पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के यहां से प्राप्त एवं जिलाधिकारी के जनता दरबार से प्रेषित लम्बित जनशिकायत मामले को नोट कराया गया। उन्हें निदेशित किया गया कि अविलम्ब लम्बित जन शिकायत मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। | सभी संबंधित पदाधिकारी |
| 15. | आधार कार्ड के संबंध में समीक्षा में पाया गया कि पूरे जिले में एजेन्सियों द्वारा सही ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है तथा अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा इस बैठक के तुरत बाद सभी संबंधित एजेन्सी को अलग से बैठक कर आवश्यक निदेश देने की बात कही गयी। उप विकास आयुक्त को इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। | उप विकास आयुक्त, दरभंगा / संबंधित एजेन्सी |
| 16. | सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अंगीकृत नागानगर नरमा गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने, पेंशन वितरण शिविर लगाने, पेयजल हेतु टावर स्थापित करने आदि के संबंध में भी आवश्यक निदेश दिए गये। सभी कार्यक्रम की विधिवत विडियोग्राफी भी कराने का निदेश दिया गया। | सभी संबंधित विभाग |
| 17. | शिक्षक संजीव कुमार मिश्र के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हें प्राप्त आरोपों के आलोक में जांचोपरान्त निलम्बित कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि पुलिस प्रतिवेदन में उन्हें दोषी करार नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यदि विभागीय जांच में दोषी हैं,तो उनके विरुद्ध प्रपत्र "क" में आरोप पत्र गठित कर कारवाई की जाय। | जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा |

ह०/
जिलाधिकारी,
दरभंगा

ज्ञाप संख्या....1051..../सी0, लहेरियासराय, दिनांक 31 मार्च, 2015.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय / तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा / बेनीपुर / बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।